प्रेषक,

संख्या-2082/22-4-2009-48(21)/03

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

लखनऊःदिनांक-27 जनवरी,2010

विषयः- नव सृजित जनपद औरैया में जिला कारागार निर्माण हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण के लिए प्रतिकर की 20 प्रतिशत अग्रिम धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिरीक्षक, कारागार के पत्र संख्या-30296/नम-1 दिनांक-9.11.2009 में किए गए प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद औरैया में जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम नौली व उमरसाना, जनपद औरैया में काश्तकारों की भूमि 24.251 हेक्टेयर, जिसका अनुमानित प्रतिकर रु0-1,09,92,078.00 (रूपये-एक करोड़ नौ लाख बानवे हजार अठहत्तर मात्र) है, के 20 प्रतिशत (10 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर और 10 प्रतिकर अध्याप्ति व्यय) की धनराशि अर्थात रु0-21,98,416.00 (रूपये-इक्कीस लाख अट्ठानवे हजार चार सौ सोलह मात्र) है, की स्वीकृति भूमि क्रय/अधिग्रहण हेतु महामहिम श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि चयनित भूमि का क्षेत्रफल आवश्यकता/निर्धारित मानक के सीमान्तर्गत होने तथा प्रतिकर हेतु आकलित धनराशि नियमानुसार उपयुक्त होने के विषय में सुनिश्चित होने का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी गत परिव्यय-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर -09-नव सृजित जनपदों में कारागार के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा और उक्त मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-170/दस-2010 दिनांक-21 जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-2082(1)/22-4-2009-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, औरैया।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- संबंधित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।